‘जीएसटी व कस्टम्स के अपराधों में मनमानी गिरफ्तारी नहीं हो सकती’

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देते हुए कहा कि कर अधिकारियों द्वारा मनमानी गिरफ्तारी संविधान का उल्लंघन है

नयी दिल्ली, 27 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि कर अधिकारियों द्वारा मनमानी गिरफ्तारी और जबरदस्ती करना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि अधिकारियों की प्रवर्तन कार्रवाई कानून की सीमा के भीतर रहनी चाहिए।वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तारी की शक्तियों को स्पष्ट करते हुए और एक ऐतिहासिक फैसले में मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि इन कर कानूनों के अंतर्गत अधिकारी पुलिस अधिकारियों का दर्जा नहीं रखते हैं। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि उन्हें ऐसा माना जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (अब

- **शीर्ष अदालत ने कहा जीएसटी व कस्टम के मामलों में अग्रिम जमानत के प्रावधान होते हैं। इन मामलों में गिरफ्तारी संदेह के आधार पर नहीं की जानी चाहिए।**

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अंतर्गत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय इन कानूनों के अंतर्गत की गई गिरफ्तारियों पर समान रूप से लागू होंगे।

शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें अग्रिम जमानत प्रावधान लागू होते हैं, जो लोगों को एफआईआर दर्ज होने से पहले ही न्यायपालिका से राहत मांगने की अनुमति प्रदान करते हैं।पीठ ने कहा कि जीएसटी और सीमा शुल्क कानूनों के अंतर्गत गिरफ्तारी सत्यापित सामग्री पर आधारित होनी चाहिए, न कि केवल संदेह के आधार पर।

उसने कहा कि इन कानूनों के अंतर्गत अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं होते हैं और समान शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। गिरफ्तारी पर जीएसटी विभाग द्वारा जारी किए गए परिपत्रों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया कि कर भुगतान में दबाव के आरोपों को गंभीरता से लेना चाहिए; प्रभावित व्यक्ति न्याय के लिए अदालत जा सकते हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों में अस्पष्टता के कारण नागरिकों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने इस बात पर बल दिया कि जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत कोई निजी शिकायत नहीं हो सकती।

शीर्ष अदालत ने अरविंद केजरीवाल मामले से इस सिद्धांत को लागू किया, जहां धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत गिरफ्तारी के लिए "विश्वास करने का कारण" होना आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा, "हमने माना है कि दीपल महाजन का मामला अलग था और हमने अरविंद केजरीवाल मामले का हवाला दिया है।सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 132 और 104, जब अपराधों को संज्ञेय और जमानती के रूप में निर्दिष्ट करती है, तो इसके बजाय इसे गैर-संज्ञेय और गैर-जमानती माना जाना चाहिए।

यह निर्णय जीएसटी और सीमा शुल्क अधिनियमों के दंडात्मक प्रावधानों को चुनौती देने वाली 279 याचिकाओं के जवाब में दिया गया।

अदालत का फैसला आरोपी व्यक्तियों के लिए कानूनी सुरक्षा को बहुत मजबूत करता है।

दिल्ली वि.सभा पर आप विधायकों का प्रदर्शन

नयी दिल्ली, 27 फरवरी। आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रवेश से रोकने के खिलाफ गुरुवार को परिसर के बाहर छः घंटे से ज्यादा प्रदर्शन किया। विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी ने कहा, भाजपा वालों ने सरकार में आते है तानाशाही की हदें पर कर दी। ‘जय भीम’ के नारे लगाने के लिए तीन दिन के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से निलंबित

- **आप विधायकों ने तीन दिन के निलम्बन के खिलाफ 6 घंटे से भी ज्यादा समय तक प्रदर्शन किया।**

किया और आज आप विधायकों को विधान सभा परिसर में घुसने भी नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा, ऐसा दिल्ली विधान सभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि चुने हुए विधायकों को विधान सभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। आतिशी अपनी पार्टी के विधायकों के साथ धरने पर बैठ गई हैं और बैरिकेडिंग के पास प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर पुलिस पार्टी विधायकों को विधानसभा परिसर में नहीं जाने दे रही है।

योगी महाकुम्भ में ड्यूटी देने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित करेंगे

- **इन पुलिसकर्मियों को सेवा मैडल, 10 हजार रु. बोनस व सात दिन का अवकाश दिया जाएगा।**
- **ज्ञातव्य है कि महाकुम्भ के दौरान 75 हजार जवानों ने लगातार ड्यूटी की थी।**

महाकुम्भ नगर, 27 फरवरी (वार्ता) महाकुंभ में ड्यूटी देने वाले पुलिस कर्मियों को योगी सरकार ‘महाकुंभ सेवा मेडल’ और दस हजार रुपये के विशेष बोनस से सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गंगा मंडपम में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों को संबोधित किया और पुलिसकर्मियों के धैर्य और शालीनता की प्रशंसा की। उन्होंने घोषणा की कि महाकुम्भ में ड्यूटी देने वाले 75 हजार जवानों को महाकुम्भ सेवा मेडल और प्रशस्तिपत्र दिया जाएगा। साथ ही, अराजपत्रित पुलिसकर्मियों को 10 हजार रुपये का स्पेशल बोनस और सभी को फेज वाइज एक सप्ताह का अवकाश प्रदान किया जाएगा।

उन्होने कहा, महाकुम्भ जैसा विशाल आयोजन एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमने इसे एक ऊंची चोटी तक पहुंचाया। यह आप सभी के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। अगर हम समस्या के बारे में सोचते तो बहाने मिलते, लेकिन समाधान के बारे में सोचा तो रास्ते मिले। हमने समाधान का रास्ता चुना और इसे दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बनाया।

योगी ने कहा कि यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और आर्थिक प्रगति का प्रतीक बन गया है। उन्होंने महाकुम्भ की आलोचना करने वालों को भी खरी-खरी सुनाते हुए कहा कि जो महाकुम्भ का भागीदार बना होगा, वही इसके स्किल और स्केल के बारे में समझ पाएगा। किसी कोने में बैठकर विद्वेष भाव से टिप्पणी कर देना आसान बात है। उन्होंने महाकुम्भ के दौरान पुलिसकर्मियों के धैर्य और शालीनता की प्रशंसा की और कहा कि कई बार कुछ लोग जवानों को धक्का भी दे देते थे, तब भी हमारे जवानों ने सहनशीलता का परिचय दिया।

उन्होने बताया कि प्रयागराज के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और महाकुम्भ में राज्य सरकार ने करीब साढ़े 7 हजार करोड़ रुपये खर्च किए, जिसके परिणामस्वरूप, राज्य की अर्थव्यवस्था में साढ़े 3 लाख करोड़ रुपये की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। दुनिया में कहीं भी आस्था को अर्थव्यवस्था के साथ इस तरह नहीं जोड़ा गया। भारत के ऋषियों ने कहा था कि यदि हम सही मार्ग पर चलें और आस्था का सम्मान करें, तो अर्थ और कामनाओं की सिद्धि स्वतः प्राप्त होगी। महाकुम्भ ने इसे साकार कर दिखाया।

नाबालिग का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि वह 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर आया था। जब वह उसे लेने पहुंचा तो पता चला कि वह स्कूल पहुंची ही नहीं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 मार्च को पीड़िता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त स्कूल के बाहर से पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ अहमदाबाद ले गया था, जहां किराए का कमरा लेकर पीड़िता के साथ रहने लगा। इस दौरान अभियुक्त ने पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया।

दूसरी ओर अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि पुलिस ने उसे मामले में फंसाया है। पुलिस ने उसे थाने बुलाया और चिकित्सीय साक्ष्य सृजित किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद, अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

विधानसभा में टूटा गतिरोध,...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में नियम होते हैं। सबसे बड़ा नियम हमारा संयम है। सदन का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। दो-तीन दिन से सदन में बड़ा व्यवधान था। कई लोगों ने कहा कि सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाए, मैंने कहा नहीं, सदन स्थगित नहीं होना चाहिए। सदन राजस्थान की जनता का आश्रय है, जहां जनता सोचती है कि हमारे बारे में विचार होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा, कई बार हम भावावेश में आकर टिप्पणी करते हैं, कई लोग सहन करने वाले होते हैं, कई लोगों को सहन नहीं होता। कोई व्यक्ति बड़ा होता है तो बड़े के हिसाब से व्यवहार और आचरण भी बदलना पड़ता है। उसे देखना भी होता है। जिस वृक्ष पर फल लगते हैं, वही झुकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधि के प्रति जनता में जो भाव हैं, उसे ध्यान में रखना होगा।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में जो घटना घटित हुई, वह बहुत ही गंभीर और चिंतनीय है। मैंने इस तरह के शब्द अपने संसदीय जीवन में कभी नहीं सुने। मैं मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेताओं से इस गतिरोध को लेकर संपर्क में था। प्रतिपक्ष के नेता ने जिस सदस्य के शब्दों के लिए खेद प्रकट किया है, उन्हें भी आचरण में सुधार के लिए कहेंगे। भविष्य में उनके आचरण और अनुशासन को सुनिश्चित करेंगे। यह टिप्पणियां माफी की योग्य तो नहीं हैं, लेकिन आप पर विश्वास करते हुए मैं तो कहता हूं कि भविष्य में ऐसा नहीं हो, ताकि सदन चले।

नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि जिस दिन यह घटना हुई और मंत्री ने जो कहा, उसके बारे में विधानसभा देवनानी ने कहा था कि मैं देख कर कार्यवाही से निकाल दूंगा, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं रखा। चाहे किसी भी पक्ष का हो, अध्यक्ष पर विश्वास करना चाहिए और समय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा की टिप्पणी आसन की गरिमा के अनुकूल नहीं थी। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, उसमें मुझे कोई संकोच नहीं है।

जूली ने कहा कि इंदिरा गांधी पर मंत्री की तरफ से जो व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई थी, उसके बाद में विवाद बढ़ा। सदन के नेता मुख्यमंत्री का धन्यवाद, जिन्होंने इस गतिरोध को खत्म करने के लिए वार्ता की और हमें बुलाया। मैं शिकायत भी करना चाहूंगा सदन के नेता से, आप चाहते तो यही वार्ता आज से 4 दिन पहले हो जाती, तो न हमें सदन में सोना पड़ता, न सड़कों पर रहना पड़ता। जूली ने कहा कि पक्ष-विपक्ष के बिना सदन अधूरा है।

सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा- कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन इतनी गुंजाइश रखो कि फिर कभी मिलें तो शर्मिंदा न हों। इसके बाद उन्होंने डोटासरा सहित कांग्रेस के 6 विधायकों की निलंबन वापसी का प्रस्ताव रखा और उसके बाद प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस विधायकों का निलंबन खत्म होने के बाद बजट पर नेता प्रतिपक्ष का भाषण शुरू हुआ।

विधानसभा में अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि निलंबन के लिए प्रस्ताव लाएं। इस पर मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि निलंबन बहाली के लिए प्रस्ताव लाएं।

योगी को...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सफाई अभियान चलाए जाने और तीसरा, आठ घंटे तक सर्वाधिक 10 हजार 102 लोगों द्वारा हैंडप्रिंट बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित एसेंस ऑफ कुम्भ बुक का विमोचन भी किया। इस दौरान दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत, अन्य मंत्री एवं अधिकारी मौजूद रहे।

इज़रायल ने 600 फिलीस्तीनियों को जेल से रिहा किया

गाजा, 27 फ़रवरी। इज़रायली अधिकारियों ने गुरुवार को हमास और इज़रायल के बीच हुये गाजा युद्धिवराम समझौते के तहत इज़रायली जेलों से 600 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना शुरू कर दिया। फ़िलिस्तीनी सूत्रों ने यह जानकारी दी। फ़िलिस्तीनी सूत्रों ने बताया कि कैदियों को ले जाने वाली बसें सेंट्रल वेस्ट बैंक में ओफ़र जेल से रवाना हुईं, जो बेतुनिया क्षेत्र में एक रिसेप्शन सेंटर की ओर बढ़ रही हैं।

हमास से जुड़े कैदी सूचना कार्यालय ने कहा कि कैदियों की रिहाई के सातवें और आठवें बैच को मिला दिया गया है, जिससे कुल संख्या 642

- **हमास और इज़रायल के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के तहत यह कदम उठाया गया है।**

हो गई है।

यह रिहाई मिस्र और कतर द्वारा अमेरिका के समर्थन से किए गए समझौते के पहले चरण का हिस्सा है। हमास ने इस रिहाई को युद्धिवराम व्यवस्था के तहत अब तक की सबसे बड़ी रिहाई बताया। हमास के प्रवक्ता हेज़म कासिम ने एक प्रेस बयान में कहा, हम कैदियों के सातवें और आठवें बैच की रिहाई के साथ फ़िलिस्तीनी लोगों की उपलब्धियों में से एक देख रहे हैं, जो युद्धिवराम समझौते की व्यवस्था के तहत अब तक की सबसे बड़ी है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दिल्ली से आतंकी परवेज़ को गिरफ्तार किया

- **पुलिस ने बताया कि परवेज़ आतंकवादियों को आर्थिक मदद देता था और रसद भी पहुंचाता था।**
- **पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी अलग-अलग ठिकानों पर छुप रहा था और दिल्ली से भी भागने की तैयारी में था।**

श्रीनगर, 27 फरवरी। जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) ने राष्ट्रीय राजधानी से एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर आतंकवाद के वित्तपोषण में शामिल है और नियंत्रण रेखा के पार बैठे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के आतंकवादियों के साथ उसके संबंध हैं।

पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि परवेज अहमद खान उर्फ पीके उर्फ शेख तजामुल इस्लाम उर्फ खालिद निवासी फारूक कॉलोनी, बेमिना, श्रीनगर को सीआईडी सैल दिल्ली और दिल्ली पुलिस की सहायता से राष्ट्रीय राजधानी में एक खुफिया अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार आतंकवादी सीआईके पुलिस थाने में दर्ज एक मामले में शामिल था, जो केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सक्रिय प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के आतंकवादियों को अलग-अलग तरीके से रसद पहुंचाने में मदद करता था तथा आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उन्हें धन मुहैया कराने का काम करता है।

पुलिस ने कहा, यह धन नियंत्रण रेखा के पार से विभिन्न माध्यमों से लाया जाता है और फिर कूरियर के माध्यम से धन को भारत में भेजा जाता है, जिसमें गिरफ्तार आरोपी परवेज अहमद खान भी शामिल है।

उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन की योजना कुछ दिन पहले सीआईके मुख्यालय में बनाई गई थी और आरोपी आतंकवादी पर तकनीकी और शारीरिक दोनों तरह से निगरानी रखी जा रही थी।

पुलिस ने बताया कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अलग-अलग ठिकानों में छिप रहा था तथा दिल्ली से भी फरार होने की योजना बना रहा था। यह गिरफ्तारी श्रीनगर स्थित सक्षम न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के अनुपालन में की गई है।

पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार आतंकवादी को दिल्ली से श्रीनगर लाने के बाद श्रीनगर अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसके लिए दिल्ली की अदालत से ट्रांजिट रिमांड हासिल कर ली गई है। पुलिस ने कहा, इस मामले में और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है।

संभल जामा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में याचिका दायर की थी। जिसमें रमज़ान से पहले सफाई, पुताई और सजावट किए जाने का आग्रह किया गया था। बृहस्पतिवार की सुबह उच्च न्यायालय में इस याचिका पर सुनवाई की गई।

सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने एएसआई की तीन सदस्यीय टीम को मस्जिद की वास्तविकता का आकलन कर शुक्रवार की सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि संभल जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई और मरम्मत की जरूरत है या नहीं, इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) के तीन अधिकारी मुतवल्ली के साथ निरीक्षण करें। न्यायालय ने यह भी कहा कि रमजान से पूर्व जो भी गतिविधि की जाए, एएसआई उसकी वीडियोग्राफी कराए।

नीतीश के बेटे का राजनीति में आना तय

पटना, 27 फरवरी। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति का सियासी रंग धीरे-धीरे चढ़ता जा रहा है। इस समय बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। बीते कुछ दिनों में निशांत की सक्रियता बढ़ी है। जिसके बाद निशांत को लेकर कयासबाजी तेज हो गई है। इस बीच जो खबरें आ रही हैं, उसके अनुसार नीतीश कुमार के बेटे निशांत का राजनीति में आना लगभग तय है। कहा जा रहा है कि निशांत नालंदा जिले की हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हरनौत विधानसभा क्षेत्र जदयू का गढ़ माना जाता है। नीतीश ने अपने चुनावी सफर का आगाज़ इसी हरनौत सीट से किया था।

यूं तो अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में नहीं आने देना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी

- **चर्चा है कि वे हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे।**

राजनीतिक पूँजी मानी जाती है। लेकिन, कहा जा रहा है कि परिवार के सदस्यों के दबाव में नीतीश कुमार अपने इकलौते पुत्र निशांत कुमार को राजनीति में उतारेंगे।

दरअसल निशांत को सक्रिय करने के पीछे नीतीश कुमार से अधिक उनके परिवार के सदस्यों की राजनीतिक इच्छा हैं कि निशांत अपने पिता के सक्रिय रहते उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बनें। जैसा राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी में हुआ। राजद में लालू यादव की तबीयत बिगड़ने पर तेजस्वी यादव ने पार्टी की कमान संभाली। दूसरी ओर लोजपा में रामविलास पासवान के बाद चिराग ने पार्टी की कमान संभाली। इससे पार्टी सुप्रीमो के अस्वस्थ होने पर भी पार्टी बिखड़ने से बची।

क्या बात ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अध्यक्ष तो चुन लिये गये हैं, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई हैं। उदाहरणार्थ के लिये, मध्य प्रदेश में वी.डी. शर्मा ने पार्टी प्रदेशाध्यक्ष का अपना पाँच साल का कार्यकाल तो पूरा कर लिया है, लेकिन पार्टी अभी तक उनके स्थानापन्न के बारे में निर्णय नहीं ले पायी है, जबकि जिला अध्यक्ष निर्वाचित हो रहे हैं। बिहार में भी, जिलाध्यक्षों के चुनाव हो गये हैं, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है। बताया जाता है कि इसका कारण यह रहा कि राज्य के प्रमुख नेता दिल्ली विधानसभा चुनावों में व्यस्त थे। उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में, विलम्ब का कारण पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है। हरियाणा में विलंब का कारण वर्तमान पार्टी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली तथा वरिष्ठ नेता अनिल विज के बीच की लड़ाई बताई जा रही है।

हरियाणा में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से राहुल चौधरी, वार्ड 19 से पूजा रानी तथा पूजा रानी के पति रुपेश मलिक शामिल है।

‘ट्रम्प हर बार भारत को तिरस्कृत करते जा रहे हैं

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मोदी अमेरिका की यात्रा पर गये, तो ट्रम्प, प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने तक नहीं आये।"

रेसिप्रोकल टैरिफ के लिये ट्रम्प के जोर को लेकर, कुमार ने कहा कि अगर सेब जैसी चीज से टैरिफ हट जायेगा, तो हिमाचल के सेब व्यापारी मुसीबत में पड़ जायेंगे। अगर अंगूरों पर टैरिफ हट जायेगा तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के लिये कष्ट की बात होगी।

कांग्रेस नेता अजय कुमार ने कहा, "इसके साथ ही, अगर वाहनों से टैरिफ हट जायेगा, तो भारतीय कार बाजार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज तो, चीन से इलैक्ट्रॉनिक सामान भी हमारे देश में आ रहा है।"

"अगर अन्य सामान भी बाहर से आने लगेगा, तो फिर देश में क्या बनेगा?"

कुमार ने जोर देते हुये कहा कि टैरिफ को लेकर ट्रम्प ने भारत को "अपमानित" करने की कोशिश की।

लेकिन यह सरकार इतनी निर्लज्ज है कि अमेरिका जाने से पहले, सरकार ने "हार्ली डेविडसन" तथा "टेस्ला" पर कस्टम्स ड्यूटी कम कर दी। मोदी सरकार के शासनकाल में, अर्थव्यवस्था की हालत खराब है।

कुमार ने कहा कि स्टॉक मार्केट की स्थिति खराब है। लोग वहीं खड़े हैं, जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि लोग स्टॉक मार्केट से अपना पैसा लगातार निकाल रहे हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता ने सख्ती के साथ कहा, "रेसिप्रोकल टैरिफ के कारण, देश की अर्थव्यवस्था में 0.5-0.6 प्रतिशत की गिरावट आयेगी, जिसके कारण देश की हालत बिगड़ेगी। नरेन्द्र मोदी अर्थव्यवस्था के दुश्मन हैं।"

उन्होंने कहा, "सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद खामियों से भरी जीएसटी, अनियोजित लॉकडाउन और अब टैरिफ (का मुद्दा)। नरेन्द्र मोदी ने देश के विनाश की ठान ली है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि अगर अर्थव्यवस्था के तौर-तरीके ऐसे ही रहे, तो भारत अंदरूनी रूप से कमजोर हो जायेगा।

कांग्रेस नेता ने कहा, "आपने देखा कि कैनडा और मैक्सिको ने किस तरह प्रतिक्रिया दी और टैरिफ हटा दिये गये। भारत को केस बनाना होगा, आपको ट्रम्प सरकार का सामना करना होगा तथा कहना होगा कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे।"

कुमार ने इस बात को लेकर भी सरकार पर हमला बोला कि ट्रम्प ने, कथित तौर पर, पाकिस्तान को एफ-16 बेड़े (फ्लीट) के रखरखाव के लिये फंड आवंटित किया है।

कुमार ने कहा, "जैसे ही नरेन्द्र मोदी अमेरिका यात्रा से लौटे, अमेरिका ने यह घोषणा कर दी कि करीब 3,000 करोड़ रूपए की राशि एफ-16 की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए दी जा रही है। लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।"

"अमेरिका और पाकिस्तान के बीच यह डील हुई थी कि एफ-16 लड़ाकू जेट विमानों को केवल आतंकवाद के खिलाफ काम में लिया जायेगा।"

कुमार ने आरोप लगाया कि यद्यपि भारत के सैन्य अधिकारियों ने अनेक बार यह कहा है कि पाकिस्तान ने एफ-16 लड़ाकू जेट विमानों का उपयोग भारत के खिलाफ किया है, लेकिन मोदी सरकार चुप रही है।

उन्होंने कहा, "अमेरिका ने पहले कई बार, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर में भी हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत उसके आगे झुका नहीं था।"

कुमार ने सरकार के सामने कुछ सवाल रखे। उन्होंने पूछा कि मोदी सरकार ने उस समय विरोध क्यों नहीं किया, जब ट्रम्प ने पाकिस्तान को 350 मिलियन डॉलर से अधिक की ग्रांट दी।

उन्होंने कहा, "मोदी सरकार ने अपने विशेषज्ञों के साथ एफ-35 पर चर्चा की या नहीं? मोदी सरकार ने देश को कमजोर क्यों किया तथा इसे खतरे में क्यों डाला?"

कुमार ने कहा कि "एलन मस्क ने एफ-35 को निकृष्ट कहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक एफ-35 डील को रद्द नहीं किया है।"

"मोदी सरकार ने यह भी नहीं कहा कि भारत सरकार अपने रक्षा विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने के बाद ही, इसके बारे में निर्णय लेगी।"

उन्होंने जोर देकर कहा, "ऐसी रिपोर्ट लगातार आ रही हैं कि इसकी डिज़ायन तथा टैक्नोलॉजी अच्छी नहीं है। लेकिन ट्रम्प को खुश करने की वजह से मोदी इस डील के लिये मना नहीं कर सके।"

कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सभी स्वीकृत सिद्धांतों को पूरी तरह नकारने वाले हैं। पार्टी ने दृढ़तापूर्वक कहा कि मोदी को अपने "अच्छे मित्र" को यह याद दिलाने के लिये "साहस बटोरना" चाहिये कि "डब्ल्यू टी ओ में "टी" "ट्रेड" के लिये आया है, "ट्रम्प" के लिये नहीं।"

विपक्षी दल कांग्रेस के इस कथन से पहले, ट्रम्प ने अमेरिकन टैरिफ को बढ़ाने की अपनी योजना बताई थी, ताकि ये अन्य देशों द्वारा आयातों पर वसूले जाने वाले टैक्सों के अनुरूप हो सकें। अपने इस कथन के द्वारा, ट्रम्प ने अपने मित्र तथा प्रतिद्वंदी देशों के साथ व्यापक आर्थिक टकराव की शुरुआत कर दी थी।

अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा है कि उनकी सरकार "शीघ्र ही" भारत और चीन जैसे देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स लगायेगी। उन्होंने उस बात दोहराया था, जो उन्होंने प्रधानमंत्री की हाल ही अमेरिका यात्रा के दौरान कही थी।

‘यूरोपियन यूनियन का गठन ही, अमेरिका की ‘‘ऐसी-कम-तैसी’’...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बैंज और फॉक्सवैगन आदि। उनका हमेशा से यही कहना है कि इन कम्पनियों ने अमेरिकन कार कम्पनियों का महत्व कम किया है।

विदेश नीति विशेषज्ञ कहते हैं, ट्रम्प का यह कहना कि यूरोपियन यूनियन का निर्माण अमेरिका को कमज़ोर करने के लिए किया गया है, असल में इतिहास को तोड़ने -मरोड़ने का प्रयास है। यूरोपियन यूनियन के निर्माण की शुरुआत 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी (ईईसी) के रुप में हुई थी। इसका निर्माण दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में आर्थिक सहयोग बढ़ाने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। धीरे-धीरे यह एक ताकतवर आर्थिक गठबंधन बन गया, जिसका एक बाजार था, जिसमें इसके सदस्यों को ट्रेड की सुविधा थी। ई.यू. को अमेरिका के खिलाफ बनाई गई इकाई बताकर ट्रम्प ने दोनों अर्थव्यवस्थाओं की परस्पर निर्भरता की अनदेखी की है। ई.यू. कोई टैरिफ या नियम नहीं लगाता है और यह अमेरिका का प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर रहा है।

अगर ट्रम्प अपनी धमकी पर अमल करते हैं तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। ई.यू. जवाबी कार्यवाही करेगा और टैरिफ लगाएगा तथा प्रमुख अमेरिका उद्योगों कृषि, एरोस्पेस व टैक्नॉलजी को निशाना बनाएगा। अमेरिका में यूरोपियन कार के दाम बढ़ जाएंगे, जिससे उनकी बिक्री कम हो जाएगी। इससे ग्लोबल सप्लाई बिगड़ जाएगी। इसके अलावा, दोनों पक्षों के बीच कानूनी जंग छिड़ जाएगी। दोनों पक्षों द्वारा डब्ल्युटीओ में मुकदमे दायर किए जाएंगे।

यह कदम अमेरिका और ई.यू. के बीच कूटनीतिक रिश्ते खराब कर सकता है और रक्षा, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मसलों पर जो परस्पर सहयोग है, उसे खत्म कर सकता है। ट्रम्प का ट्रेड पर जो आक्रामक रुख है, वह उनके मतदाताओं को काफी पसंद है खासकर मिड वैस्ट की निर्माता कम्पनियों को। वहां के लोग ग्लोबलाइजेशन के कारण खुद को अलग-थलग महसूस कर रहे थे।

ट्रम्प की धमकी पर जवाब देने में यूरोपियन यूनियन ने जरा भी देर नहीं लगाई। ई.यू. ने इस

- **दोनों पार्टियाँ, ई.यू. व अमेरिका, अपना यह विवाद अब डब्ल्यू.टी.ओ. के समक्ष ले गई हैं तथा कानूनी समाधान ढूंढ़ने का प्रयास करेंगी।**

दावे से इन्कार किया कि ई.यू. का निर्माण अमेरिका को कमज़ोर करने के लिए हुआ था। उन्होंने कहा अगर दंडात्मक टैरिफ लगाया गया तो उनका करारा जवाब दिया जाएगा।

यूरोपियन यूनियन के लिए प्रवक्ता ऑल गिल ने ट्रांसएटलांटिक व्यापार संबंधों के आपसी लाभों पर जोर देते हुए कहा कि यूरोपियन यूनियन दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त बाज़ार संचालित करता है। उन्होंने यह भी बताया कि यह आर्थिक ढांचा अमेरिका के निर्यातकों के लिए लागतों को काफी कम करता है और दोनों पक्षों के लिए व्यापार को सरल बनाता है। गिल ने यह दोहराया कि जहाँ ई.यू. बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो यूरोपीय व्यापारों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए, अनुचित व्यापार उपायों से निपटने में हिचकिचाएगा नहीं।

फ्रांस ने भी दृढ़ रुख अपनाया है। फ्रांस सरकार की प्रवक्ता सोफी पाइमस ने इस संदर्भ में कहा कि जहाँ ट्रेड वॉर किसी के भी हित में नहीं है, वहीं, यदि ट्रम्प अपनी टैरिफ योजना पर आगे बढ़ते हैं तो ईयू निर्णायक रुप से प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। उन्होंने ई.यू. के गठन को लेकर ट्रम्प के दावों को खारिज किया और फिर से इस बात की पुष्टि की कि यह संघ यूरोपीय एकता और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, न कि अमेरिका को कमज़ोर करने के लिए।

इटली की प्रभावशाली व्यापार लॉबी, कॉनफिडस्ट्रिया, ने भी आलोचना में शामिल होते हुए ट्रम्प की टैरिफ नीति को यूरोपीय उद्योग और नौकरियों पर सीधा हमला बताया। इसके अध्यक्ष, इमैनुअल ऑर्सिनी ने चेतावनी दी कि ऐसी कार्रवाइयों से यूरोपीय कंपनियों और श्रमिकों को गंभीर नुकसान हो सकता है। उन्होंने, यूरोपीय संघ के नेताओं से मजबूत और दृढ़ता से जवाब देने का आग्रह किया।

इतिहास बताता है कि यूरोपीय संघ उन व्यापार प्रतिबंधों के खिलाफ पलटवार करने में संकोच नहीं करेगा, जिन्हें वह अनुचित मानता है। अमेरिका द्वारा स्टील और एल्युमिनियम टैरिफ लगाने के पिछले विवादों में ब्रसल्स ने अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए जवाबी उपाय लागू किए थे, और यदि ट्रम्प की नई धमकियां सच होती हैं, तो इसी प्रकार की प्रतिक्रिया लगभग निश्चित है।

ममता बनर्जी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के पक्ष में समर्थन की हवा चल रही है पर इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि तृणमूल के गुंडे पार्टी विरोधी वोट पड़ने ही नहीं देंगे। वोटर्स को रोक कर वे यह पक्का करेंगे कि उनकी ही पार्टी जीते।

ईमानदारी की बात है कि तृणमूल के राज में निष्पक्ष मतदान नहीं हो सकता और चुनाव नतीजों में कभी भी बदलाव नहीं आ सकता।

समाचार पत्र राष्ट्रदूत दैनिक, उदयपुर
फार्म नं. 4 (नियम 8 देखें)

1. प्रकाशन स्थान	उदयपुर
2. प्रकाशन अवधि	दैनिक
3. मुद्रक का नाम	सोमेश शर्मा
नागरिकता	भारतीय
पता	आजाद मार्ग, आयड़ रोड, उदयपुर
4. प्रकाशक का नाम	सोमेश शर्मा
नागरिकता	भारतीय
क्या विदेशी है	नहीं
पता	आजाद मार्ग, आयड़ रोड, उदयपुर
5. सम्पादक का नाम	राजेश शर्मा
नागरिकता	भारतीय
क्या विदेशी है?	नहीं
पता	आजाद मार्ग, आयड़ रोड, उदयपुर
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार व हिस्सेदार हों।	राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) कर्ता राजेश शर्मा सुधर्मा, एम.आई.रोड, जयपुर

मैं सोमेश शर्मा, एतद् घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

28-02-2025

ह.सोमेश शर्मा
प्रकाशक के हस्ताक्षर

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908